दिनांक 14.09.2026
प्रेस विज्ञप्ति 476/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मीरजापुर इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 14.09.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मीरजापुर इकाई** द्वारा लालजी सिंह निवासी मझिगवां थाना ड्रमण्डगंज जनपद मीरजापुर से शिकायत कर्ता की भाभी का नाम आदेश के मुताबित खतौनी में दर्ज कर उसकी नकल देने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री कृष्णावतार सिंह के नेतृत्व में चकबन्दी कार्यालय, तहसील लालगंज से **चकबन्दी लेखपाल दीपक कुमार मौर्या (मझिगवां तहसील लालगंज मीरजापुर)** पुत्र राजनाथ मौर्या निवासी ग्राम हृदयपुर थाना मड़ियाहूँ जनपद जौनपुर को **05 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 14.09.2026
प्रेस विज्ञप्ति 477/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सहारनपुर/थाना फतेहपुर

- **घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये 35 हजार 500 रूपये नगद**
- **लूटे गये 08 मोबाइल फोन, 01 ब्रेसलेट (सफेद धातु)**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 13.09.2026 को थाना फतेहपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रजापुर जाने वाले कट पर चेकिंग के दौरान 05 अभियुक्तों 1–समीर 2–सनव्वर 3–अनस 4–रिहान 5–प्रिन्स को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 35 हजार 500 रूपये नगद, लूटे गये 08 मोबाइल फोन, 01 ब्रेसलेट (सफेद धातु), 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 06.09.2026 को थाना फतेहपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा डकैती की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, मोबाइल फोन आदि लूट की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–समीर निवासी दानिश कालोनी रसूलपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

2–सनव्वर निवासी दानिश कालोनी रसूलपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

3–अनस निवासी मोहल्ला छीपियान थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

4–रिहान निवासी मॉण्डेबांस थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

5–प्रिन्स निवासी बड़ूली चौकी सीडकी थाना नागल जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–लूटे गये 35 हजार 500 रूपये नगद।

2–लूटे गये 08 मोबाइल फोन, 01 ब्रेसलेट (सफेद धातु)।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4–02 मोटर साइकिल आदि।

जनपद मेरठ/थाना परतापुर

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **07 अवैध पिस्टल, 20 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 चोरी की मोटर साइकिल**
- **01 स्कूटी बरामद**

दिनांक 13/14.09.2026 की रात्रि थाना परतापुर व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अच्छरौंडा–बहादुरपुर मार्ग स्थित दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे अंडरपास के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–आमिर घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–शुऐब 3–शादान उर्फ पकौड़ी 4–साजिद सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 07 अवैध पिस्टल, 20 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 चोरी की मोटर साइकिल, 01 स्कूटी बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना परतापुर पुलिस टीम द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आमिर निवासी वेलकम कालोनी नई दिल्ली।

2–शुऐब निवासी रसीदनगर थाना ब्रहापुरी जनपद मेरठ।

3–शादान उर्फ पकौड़ी निवासी माधवपुरम थाना ब्रहापुरी जनपद मेरठ।

4–साजिद निवासी रांगणों की चौपाल थाना कोतवाली जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–07 अवैध पिस्टल, 20 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

2–01 चोरी की मोटर साइकिल।

3–01 स्कूटी।

जनपद सहारनपुर/थाना सरसावा

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 09 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 13.09.2026 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नकुड़–सरसावा मार्ग पर हाई–वे पुल के नीचे से 03 अभियुक्तों 1–नितिन कुमार उर्फ रोहित 2–वंश उर्फ राजा 3–गौरव को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 मोटर साइकिल बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना सरसावा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा मोटर साइकिल चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सरसावा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोटर साइकिल चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सरसावा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नितिन कुमार उर्फ रोहित निवासी ग्राम झबीरण थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

2–वंश उर्फ राजा निवासी ग्राम गदरहेडी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

3–गौरव निवासी ग्राम झबीरण थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 09 मोटर साइकिल।

जनपद चन्दौली/थाना कन्दवा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 13 लाख रूपये कीमत के 147 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब/बीयर**
- **नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक बरामद**

दिनांक 14.09.2026 को थाना कन्दवा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कन्दवा के सामने बैरियर के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त रिंकू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 13 लाख रूपये कीमत के 147 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब/बीयर, नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कन्दवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रिंकू निवासी ग्राम हिनौता थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।

बरामदगी

1–लगभग 13 लाख रूपये कीमत के 147 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब/बीयर।

2–नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन।

3–घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक।

जनपद सोनभद्र/थाना रॉबर्ट्सगंज

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **220 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **04 हजार रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त आइसर प्रो वाहन बरामद**

दिनांक 13.09.2026 को थाना रॉबर्ट्सगंज व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1– बिरेस 2– गोविन्द को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 220 किलोग्राम अवैध गांजा, 04 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त आइसर प्रो वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बिरेस निवासी अद्दरमई थाना ओसांवा जनपद बदायूं।

2–गोविन्द निवासी ग्राम मियारी थाना ओसांवा जनपद बदायूं।

बरामदगी

1–220 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–04 हजार रूपये नगद।

3–02 मोबाइल फोन।

4–घटना में प्रयुक्त आइसर प्रो वाहन।

- **जनपद सहारनपुर/थाना देवबंद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 01 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना देवबंद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377/323 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विकास को आजीवन कारावास व 01 लाख 01 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त नदीम को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अशोक कुमार गोस्वामी को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद इटावा/थाना बलरई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना बलरई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मोहन उर्फ ब्रजमोहन को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बांदा/थाना कमासिन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना कमासिन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 305 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–ददोला उर्फ राजकुमार 2–त्रिभुवन उर्फ सतीश को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————